

&gt;

Title: Papers Laid on the Table of the House by Ministers/Members.

**माननीय सभापति:** अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

आइटम नम्बर दो से आठ, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ।

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):** महोदया, मैं श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) (एक) नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. L.T. 4010/17/21)

- (3) (एक) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4011/17/21)

- (5) (एक) मैन-मेड टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) मैन-मेड टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4012/17/21)

- (7) (एक) सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4013/17/21)

- (9) (एक) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

- (दो) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4014/17/21)

- (11) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंस्ट्रिज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंस्ट्रिज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4015/17/21)

- (13) (एक) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए

विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)  
।

(Placed in Library, See No. LT 4016/17/21)

- (15) (एक) भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भदोही के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भदोही के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)  
।

(Placed in Library, See No. LT 4017/17/21)

- (17) (एक) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)  
।

(Placed in Library, See No. LT 4018/17/21)

- (19) (एक) सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल्स एंड मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2019-2020



के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल्स एंड मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4019/17/21)

(21) ऊन उद्योग निर्यात संवर्धन परिषद, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन ।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4020/17/21)

(23) (एक) ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4021/17/21)

- (25) (एक) वूल रिसर्च एसोसिएशन, थाणे के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) वूल रिसर्च एसोसिएशन, थाणे के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4022/17/21)

- (27) (एक) विद्युतकरघा विकास और निर्यात संवर्धन परिषद, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) विद्युतकरघा विकास और निर्यात संवर्धन परिषद, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4023/17/21)

- (29) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (एक) का.आ. 3813 (अ) जो 26 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधधीन श्री रजीत रंजन ओखंडियार, एमएस, सीएसबी को 06.11.2020 से तीन वर्ष

की अवधि के लिए अथवा जब तक वह पद धारण करते हैं, जो भी पहले हो, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित किया गया है।

- (दो) का.आ. 3814 (अ) जो 26 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन संबंधित राज्यों की सिफारिश पर राज्य सरकारों के अधिकारियों को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित किया गया है।
- (तीन) का.आ. 4205 (अ) जो 24 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन श्री रवि कपूर, सचिव, वस्त्र मंत्रालय को अध्यक्ष, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर का अतिरिक्त प्रभार उनके द्वारा इस पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने की तारीख से 31.12.2020 तक अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति किए जाने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, सौंपा गया है।
- (चार) का.आ. 349 (अ) जो 25 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन संबंधित राज्यों की सिफारिश पर राज्य सरकारों के अधिकारियों को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित किया गया है।
- (पांच) का.आ. 479 (अ) जो 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन संबंधित राज्यों की सिफारिश पर राज्य सरकारों के अधिकारियों को अधिसूचना की तारीख से तीन

वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित किया गया है ।

(Placed in Library, See No. LT 4024/17/21)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदया, मैं डॉ. हर्ष वर्धन की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

- (1) (एक) राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4025/17/21)

- (3) (एक) जैव संसाधन एवं स्थायी विकास संस्थान, इम्फाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) जैव संसाधन एवं स्थायी विकास संस्थान, इम्फाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4026/17/21)

- (5) (एक) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4027/17/21)

- (7) (एक) राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, पुणे के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, पुणे के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4028/17/21)

- (9) (एक) राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4029/17/21)

- (11) (एक) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4030/17/21)

- (13) (एक) नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, मोहाली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, मोहाली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4031/17/21)

- (15) (एक) सेंटर ऑफ इनोवेटिव एण्ड एप्लाइड बायोप्रोसेसिंग, मोहाली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) सेंटर ऑफ इनोवेटिव एण्ड एप्लाइड बायोप्रोसेसिंग, मोहाली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4032/17/21)

- (17) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4033/17/21)

(19) (एक) जीव विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) जीव विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4034/17/21)

(21) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर स्टेम सेल एण्ड रीजनरेटिव मेडिसिन, बैंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) इंस्टिट्यूट फॉर स्टेम सेल एण्ड रीजनरेटिव मेडिसिन, बैंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।



- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4035/17/21)

- (23) (एक) क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4036/17/21)

- (25) (एक) ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4037/17/21)

- (एक) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष

- (27) 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(28)

(Placed in Library, See No. LT 4038/17/21)

- (29) (एक) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(30)

(Placed in Library, See No. LT 4039/17/21)

- (31) (एक) जैवप्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) जैवप्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार

द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4040/17/21)

- (33) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (क) (एक) इंडियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।
- (दो) इंडियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(Placed in Library, See No. LT 4041/17/21)

- (ख) (एक) भारत इम्युनोलॉजीकल्स एण्ड बायोलॉजीकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।
- (दो) भारत इम्युनोलॉजीकल्स एण्ड बायोलॉजीकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(Placed in Library, See No. LT 4042/17/21)

- (ग) (एक) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-

2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

- (दो) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

- (34) उपर्युक्त (33) की मद संख्या (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4043/17/21)

- (35) (एक) कंसलटेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) कंसलटेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4044/17/21)

- (36) निम्नलिखित पत्रों की एक- एक प्रति) हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण-: (

- (एक) भारत इम्यूनोलॉजीकल्स एण्ड बायोलॉजीकल्स कारपोरेशन लिमिटेड तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

(Placed in Library, See No. LT 4045/17/21)

- (दो) बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।
- (37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4046/17/21)

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदया, मैं श्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:**

- (1) (एक) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसायटी, इंडिया, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसायटी, इंडिया, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4047/17/21)

- (3) (एक) भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4048/17/21)

- (5) (एक) भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4049/17/21)

- (7) (एक) सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 और 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4050/17/21)

- (9) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

(Placed in Library, See No. LT 4051/17/21)

- (10) चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 8 की उप-धारा (3) के अंतर्गत चलचित्र (प्रमाणन) संशोधन नियम, 2020 जो 24 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 582(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4052/17/21)

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदया, मैं श्री किरेन रिजीजू की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:**

- (1) (एक) केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4053/17/21)

- (3) (एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4054/17/21)

- (5) (एक) उत्तर-पूर्वी आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) उत्तर-पूर्वी आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4055/17/21)

- (7) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।



- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4056/17/21)

- (9) भारतीय केंद्रीय औषध परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय केंद्रीय औषध परिषद (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) संशोधन विनियम, 2020 जो 20 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 4-90/2018-पीजी विनियमन (आयुर्वेद) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4057/17/21)

- (10) भेषज अधिनियम, 1948 की धारा 18 की उप-धारा (4) के अंतर्गत भेषज महाविद्यालयों में रैगिंग की दुष्प्रवृत्ति की रोकथाम के बारे में भेषज में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए भारतीय भेषज परिषद (संशोधन) विनियम, 2019 जो 10 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 14-1/2017-पीसीआई (भाग-एक) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4058/17/21)

- (12) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 56 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति आयोग (सदस्यों की नियुक्ति और नाम निर्देशन का तरीका, उनके वेतन, भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आस्तियों, पेशेवर और वाणिज्यिक वचनबन्ध की घोषणा) नियम, 2020 जो 18 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 771(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति आयोग (सदस्यों की नियुक्ति और नाम निर्देशन का तरीका, उनके वेतन, भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आस्तियों, पेशेवर और वाणिज्यिक वचनबन्ध की घोषणा) नियम, 2020 जो 18 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 772(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(Placed in Library, See No. LT 4059/17/21)

(13) होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की धारा 33 की उप-धारा (2) के अंतर्गत होम्योपैथी चिकित्सक (पेशेवर आचरण, शिष्टाचार और आचार संहिता) संशोधन विनियम, 2020 जो 23 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 7-3/2003-सीसीएच (भाग-एक) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4060/17/21)

(14) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए

विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

।

(Placed in Library, See No. LT4061/17/21)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदया, मैं श्री अश्विनी कुमार चौबे की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) (एक) अखिल भारतीय वाक् और श्रवण संस्थान, मैसूर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) अखिल भारतीय वाक् और श्रवण संस्थान, मैसूर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4062/17/21)

- (3) (एक) उत्तर-पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) उत्तर-पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4063/17/21)

- (5) (एक) भारतीय चिकित्सा परिषद के अधिक्रमण में शासी मंडल, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) भारतीय चिकित्सा परिषद के अधिक्रमण में शासी मंडल, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) भारतीय चिकित्सा परिषद के अधिक्रमण में शासी मंडल, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4064/17/21)

- (7) (एक) इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4065/17/21)

- (9) (एक) सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4066/17/21)

- (11) (एक) भारतीय भेषज परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) भारतीय भेषज परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4067/17/21)

- (13) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब

के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4068/17/21)

- (15) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4069/17/21)

- (17) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4070/17/21)

- (19) (एक) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब

के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4071/17/21)

- (21) (एक) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4072/17/21)

- (23) (एक) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4073/17/21)

- (25) (एक) लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4074/17/21)

(27) (एक) इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4075/17/21)

(29) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बेंगलुरु के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।



(Placed in Library, See No. LT 4076/17/21)

- (31) लेखांकन वर्ष की समाप्ति के पश्चात नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4077/17/21)

- (32) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) नौवां विनियम, 2020, जो 13 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं.एसटीडीएस/प्रसंस्करण इमदाद/अधिसूचना / एफएसएसएआई / 2018 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषक आहार) विनियम, 2020, जो 10 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं.एसटीडीएस/03/ अधिसूचना (आईएफआर) / एफएसएसएआई-2017 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020, जो 18 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं.1-94/ एफएसएसएआई / एसपी (लेबलिंग) /2014 (भाग-2) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पादों का सुदृढीकरण)

पहला संशोधन विनियम, 2020, जो 18 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आरईजी / सुदृढीकरण संशोधन (1) / अधिसूचना / एफएसएसएआई-2018 में प्रकाशित हुए थे ।

- (पांच) खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) पहला संशोधन विनियम, 2020, जो 13 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस/एसपी(एलएण्डसी/ए)/तेल दावे/एफएसएसएआई-2018 में प्रकाशित हुए थे ।
- (छह) खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) पहला संशोधन विनियम, 2020, जो 27 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण/आरईजी/2019 में प्रकाशित हुए थे ।
- (सात) खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिषेध) तीसरा संशोधन विनियम, 2020, जो 26 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस/ओएण्डएफ/ अधिसूचना(12)/ एफएसएसएआई-2019 में प्रकाशित हुए थे ।
- (आठ) खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) पहला संशोधन विनियम, 2020, जो 14 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस/एसपी/ (संदूषक)/अधिसूचना-1/ एफएसएसएआई-2018 में प्रकाशित हुए थे ।
- (नौ) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) छठा संशोधन विनियम, 2020, जो 2 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं.

- एसटीडीएस / एमएण्डएमपी / अधिसूचना (04) / एफएसएसएआई-2019 में प्रकाशित हुए थे ।
- (दस) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) दूसरा संशोधन विनियम, 2020, जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस / सीपीएलएण्डसीपी / अधिसूचना / 01 / एफएसएसएआई-2018 में प्रकाशित हुए थे ।
- (ग्यारह) खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिषेध) दूसरा संशोधन विनियम, 2020, जो 21 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस/एगमार्क-बीआईएस/02/ एफएसएसएआई-2018 में प्रकाशित हुए थे ।
- (बारह) खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) दूसरा संशोधन विनियम, 2020, जो 16 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 11023/24/2017-क्यूए में प्रकाशित हुए थे ।
- (तेरह) खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिषेध) पहला संशोधन विनियम, 2020, जो 27 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस/योज्य-3/अधिसूचना/एफएसएसएआई/2018 में प्रकाशित हुए थे ।
- (चौदह) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) पांचवां संशोधन विनियम, 2020, जो 27 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. ए-1 / मानक / एगमार्क / 2012-एफएसएसएआई(पी+1) में प्रकाशित हुए थे ।
- (पन्द्रह) खाद्य सुरक्षा और मानक (मद्ययुक्त पेय) पहला संशोधन

विनियम, 2020, जो 18 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस/एसपी (जल और पेय)/अधिसूचना(1)/ एफएसएसएआई-2019 में प्रकाशित हुए थे ।

- (सोलह) खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिषेध) दूसरा संशोधन विनियम, 2021, जो 3 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस/ओएण्डएफ/अधिसूचना(13)/ एफएसएसएआई-2019 में प्रकाशित हुए थे ।
- (सत्रह) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) चौथा संशोधन विनियम, 2020, जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस / एमएण्डएमपीआईपी (3) / एसपी / एफएसएसएआई-2018 में प्रकाशित हुए थे ।
- (अठारह) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) पहला संशोधन विनियम, 2020, जो 27 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 1-110/एसपी (जैवकीय खतरे वाले पदार्थ)/संशोधन-1/ एफएसएसएआई/2018 में प्रकाशित हुए थे ।
- (उन्नीस) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) आठवां संशोधन विनियम, 2020, जो 13 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 1/अतिरिक्त योजक-तीन/ एसटीडीएस / अधिसूचना / एफएसएसएआई / 2017 में प्रकाशित हुए थे ।
- (बीस) खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य पदार्थ और संतुलित आहार) विनियम, 2020, जो 4 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या

एफ. सं. 15(1)/2016/स्कूली बच्चे विनियम/ईएनएल/एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे ।

(इक्कीस) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) पहला संशोधन विनियम, 2020, जो 21 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आरईजी-18/मीनू लेबलिंग/एफएसएसएआई-2018 में प्रकाशित हुए थे ।

(बाईस) खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिषेध) पहला संशोधन विनियम, 2021, जो 13 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आरईजी/एसटीडीएस-खेसारी दाल/एफएसएसएआई-2020 में प्रकाशित हुए थे ।

)तेईस( खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) पहला संशोधन विनियम, 2020, जो 21 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 1-1275/एफएसएसएआई/आयात/2015 में प्रकाशित हुए थे ।

)चौबीस( भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (कारबार का संचलन तथा वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनलों के लिए प्रक्रिया) पहला संशोधन विनियम, 2021, जो 13 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 2-63/एफएसएसएआई/ कारबार एससी और एसपी/आरईजी/2020 में प्रकाशित हुए थे ।

(Placed in Library, See No. LT 4078/17/21)

(33) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत

निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) प्रसाधन सामग्री नियम, 2020, जो 15 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.763(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) औषध और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) नियम, 2021, जो 26 फरवरी 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 140(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(Placed in Library, See No. LT4079/17/21)

(34) मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 की धारा 124 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मानसिक स्वास्थ्य देखरेख (केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड) संशोधन नियम, 2021, जो 18 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 120(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) मानसिक स्वास्थ्य देखरेख (केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) विनियम, 2021, जो 18 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. वी.15011/09/2019-पीएच-एक में प्रकाशित हुए थे ।

(Placed in Library, See No. LT4080/17/21)

(35) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार

तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 31 की उप-धारा(3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (एक) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियम, 2020, जो 13 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 248(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) दूसरा संशोधन नियम, 2020, जो 20 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 454(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (तीन) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) तीसरा संशोधन नियम, 2020, जो 21 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 458(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(Placed in Library, See No. LT4081/17/21)

- (36) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का.आ. 897(अ) जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चिकित्सा परामर्शी परिषद में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के प्रतिनिधियों के नामनिर्देशन के बारे में है ।
- (दो) का.आ. 1888(अ) जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चिकित्सा परामर्शी

परिषद में दादरा नागर हवेली और दमन दीव के प्रतिनिधियों के नामनिर्देशन के बारे में है ।

- (तीन) का.आ. 1889(अ) जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चिकित्सा परामर्शी परिषद में केरल के प्रतिनिधियों के नामनिर्देशन के बारे में है ।
- (चार) का.आ. 2867(अ) जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चिकित्सा परामर्शी परिषद में जम्मू और कश्मीर चिकित्सा परिषद के प्रतिनिधियों के नामनिर्देशन के बारे में है ।
- (पांच) का.आ. 3260(अ) जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन के बारे में है ।
- (छह) का.आ. 3261(अ) जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के चार स्वायत्तशासी बोर्डों के गठन के बारे में है ।
- (सात) का.आ. 3262(अ) जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के उपबंधों को प्रभावी करने के बारे में है ।
- (आठ) का.आ. 4302(अ) और 4303(अ) जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और चिकित्सा परामर्शी परिषद में आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि के प्रतिस्थापन के बारे में है ।
- (नौ) का.आ. 4775(अ) जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चिकित्सा परामर्शी परिषद में दादरा नागर हवेली और दमन दीव के प्रतिनिधियों के नामनिर्देशन के बारे में है ।
- (दस) वार्षिक एमबीबीएस प्रवेश के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं



विनियम, 2020 जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एनएमसी/एमसीआई 35(1)98-चिकित्सा(2)123627 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्यारह) चिकित्सा कॉलेज की स्थापना विनियम (संशोधन), 2020 जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एनएमसी/एमसीआई 34(41)/2020-चिकित्सा/123626 में प्रकाशित हुए थे ।

(Placed in Library, See No. LT4082/17/21)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदया, मैं श्री बाबुल सुप्रियो की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) वर्ष 2021-2022 के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT4083/17/21)

(2) (एक) जी.बी.पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) जी.बी.पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT4084/17/21)

- (3) (एक) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT4085/17/21)

- (5) (एक) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT4086/17/21)

- (6) (एक) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4087/17/21)

- (8) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत

निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2019, जो 24 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 47(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2019, जो 24 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 48(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (तीन) पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2019, जो 26 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 952(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (चार) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018, जो 3 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 5(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (पांच) पर्यावरण (संरक्षण) चौथा संशोधन नियम, 2018, जो 28 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1241(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (छह) पर्यावरण (संरक्षण) पांचवां संशोधन नियम, 2018, जो 9 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1095(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (सात) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2020, जो 22 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 662(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा 27 नवम्बर, 2020 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.742(अ) में प्रकाशित एक तत्संबंधी शुद्धिपत्र ।
- (आठ) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018, जो 18 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 568

- (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (नौ) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018, जो 22 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 263 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (दस) पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2018, जो 29 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 96 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(Placed in Library, See No. LT 4088/17/21)

- (9) एनसीआर और समीपवर्ती क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन अध्यादेश, 2020 की धारा 23 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का.आ. 4014(अ) जो 5 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एनसीआर और समीपवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग के गठन के बारे में है ।
- (दो) का.आ. 751(अ) जो 18 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा 5 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि.4014(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(Placed in Library, See No. LT 4089/17/21)

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदया, मैं सुश्री देबाश्री चौधरी की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:**

- (1) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 14 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।  
(एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No. LT 4090/17/21)

**12.02½ hrs**

**MESSAGE FROM RAJYA SABHA**

**AND**

**BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA\***